ग्राम पंचायत जयहर, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के
लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014से 31.03.2017

भाग-1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जयहर विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	**प्रधान का नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती कुसुम लता	23/01/2011 से 22/01/2016
2.	श्रीमती रीता देवी	23/01/2016 से लगातार

सचिव:-

क्रमांक	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री उत्तम सिंह	28/11/2013 से 31/08/2015
2.	श्री अजय शर्मा	01/09/2015 से 17/03/2017
3.	आशा कुमारी	18/03/2017 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत जयहर के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम सं0	**पैरा नं**	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि**(लाखों) में
1	5	वितीय स्थिति व् बैंक शेष में अन्तर	0.63
2	6	खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करना	0.11
3	8	गृहकर की शेष वसूली	0.20
4	9	पंचायत निधि की प्राप्त आय का दुर्विनियोजन	**0.62**
5	10	**सामान्य निधि खाते से हस्तगत राशि का दुर्विनियोजन**	**0.05**
6	11	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	14.0**4**
7	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/ स्टॉक सामग्री का क्रय	--
8	14	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	--

9	16(i)	मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय दर्शाकर अधिक आहरण कर राशि का दुर्विनियोजन	**0.82**
10	16(ii)	निर्माण कार्यों का तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकन करवाए बिना राशि का आहरण/भुगतान	**21.41**
11	16(iii)	स्वीकृत अनुदान की राशि से किये गए व्यय बारे ब्यौरा प्रस्तुत न करना	**14.86**
12	17(i)	मनरेगा योजना की रोकड़ बही को संधारित न करना	32.01
13	18	बिना बिल/वौचेर्स के राशि का अनियमित आहरण/ भुगतान	**6.87**
14	19	आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	**0.61**

भाग–II

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जयहर विकास खण्ड पच्छाद ज़िला सिरमौर के अवधि **01/04/2014 से 31/03/2017** के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **30/08/17 से 01/09/17, 05/09/17 से 06/09/17 तथा 11/09/2017** तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	**03/2015**	**02/2014**
2015-16	**06/2015**	**04/2015**
2016-17	**03/2017**	**03/2016**

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्तिथि मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जयहर, विकास खण्ड, पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/201 4 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "**निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-7 दिनांक 11 /09/2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत जयहर से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति:-** ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

i) स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत जयहर के अवधि 01/ 04/2014 से 31/ 03/2017 की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त राशि	कुल	भुगतान	अन्तिम शेष
2014-15	-----	14935.00	14935.00	4690.00	10245.00
2015-16	10245.00	12595.00	22840.00	-------	22840.00
2016-17	22840.00	41195.80	64035.80	-------	64035.80

{परिशिष्ट-1}

नोट:- ग्राम पंचायत जयहर की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का खाता अलग से न होने के कारण स्व: स्त्रोत का 01/04/2014 को प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्व: स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता "क" में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्व: स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत जयहर की अवधि 01/04/2014 से 31/3/2017 में अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट- 2 व 2A}** मे दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त राशि	कुल	भुगतान	अन्तिम शेष
2014-15	951713.54	2143625.00	3095338.54	2031578.00	1063760.54
2015-16	1063760.54	1295577.00	2359337.54	1563499.00	795838.54
2016-17	795838.54	1396199.00	2192037.54	788484.00	1403553.54

नोट:- (1) रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है।

5. रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

(क) रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹63,261** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	64035.80	**1**
2.	अनुदान	1403553.54	**2**
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	**1467589.34**	**3**
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**1404328.34**	**4**
5.	**कुल अन्तर**	**63261.00**	**5**

31.03.2017 को बैंक व हस्तगत शेष अनुसार जमा राशि का ब्यौरा

नं	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, Sarahan	56610104099	1052497.34
2	बी.आर.जी.एॅफ़.	------do------	56610105596	134137.00
3	आई.ए.वाई.	------do------	56610104170	22012.00
4	पी.एम्.ए.जी.वाई.	------do------	56610110840	17828.00
5	विकास कार्य	------do------	56610104099	144731.00
6	13th FC	------do------	56610106674	29243.00
			बैंक खातों अनुसार शेष	**1400448.34**
			सामान्य निधि खाते में हस्तगत शेष	**3880.00**
			31.03.2017 को कुल शेष राशि	**1404328.34**

{परिशिष्ट-4}

(ख) रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है जबकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। **इसी कारण अनुदान विकास कार्य का 01.04.2014 को प्रारंभिक शेष (-)11432 ऋणात्मक शेष दर्शा रहा है** जोकि उक्त अनुदान के बचत खाते में शेष राशि से अधिक के चेक जारी करने के कारण हुआ है, क्योंकि दिनांक **26.03.2014 को बैंक खाते में ₹87043 शेष** थी जबकि सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** उक्त तिथि को **₹99405 के चेक जारी किये गए** तथा **31.03.2014 को बैंक द्वारा 930 की ब्याज राशि का क्रेडिट** दिया गया परिणाम स्वरूप विकास कार्य का बचत खाता **₹11432 {87043+930-99405=(-)11432/-}** ऋणात्मक शेष में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में पंचायत **द्वारा** बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ वही एवं खातावहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही में प्राप्त राशि तथा भुगतान बारे पूरा ब्यौरा/ कई जगह बिलकुल भी दर्ज नहीं किया गया है जोकि आपतिजनक है क्योंकि प्राप्ति/भुगतान का पूर्ण ब्यौरा दर्ज न होने की स्थिति में सही खाते/कार्य की पहचान नहीं की जा सकती और भुगतान की सत्यता का भी पता नहीं लगाया जा सकता। अतः अंकेक्षण अवधि के अभिलेख को नियमानुसार तैयार करने बारे सचिव ग्राम पंचायत जयहर को सख्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ताकि सम्बन्धित **द्वारा** भविष्य में सरकारी अभिलेख के नियमानुसार संधारण में कोताही न बरती जाए।

6. खाता "ख" में अर्जित ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व् भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम-3 के कोड संख्या 1 से 50 में संदर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं के स्त्रोत की आय माना गया है तथा **खाता-क** में शामिल किया गया है। इसी प्रकार नियम 3 के कोड संख्या 51 से 99 जिसमें विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों ऋणों शामिल हैं, **खाता-ख** में रखा गया है तथा **खाता-ख** पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व् ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व् जुलाई माह में **खाता-क** (स्वयं के स्त्रोत की आय) में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। अत: ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज **₹11106** जिसका विवरण निम्नतालिका में दिया गया है को स्वयं के साधनों से प्राप्त आय के **खाता-क** में हस्तांतरित न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कारवाई की जाए तथा अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए:-

अनुदान माह	13th FC ब्याज(₹)	विकास कार्य ब्याज(₹)	कुल ब्याज (₹)
09/2014	1202/-	106/-	1308/-
03/2015	219/-	914/-	1133/-
09/2015	441/-	3461/-	3902/-
03/2016	1235/-	843/-	2078/-
09/2016	878/-	686/-	1564/-
03/2017	572/-	549/-	1121/-
कुल	**4547/-**	**6559/-**	**11106/-**

7. स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता:-

ग्राम पंचायत जयहर को गत तीन वर्षों में स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्व: स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण गृहकर व अन्य करों की समय पर वसूली न करना तथा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है क्योंकि इन करों/शुल्कों से सम्बंधित निर्धारित दरें अंकेक्षण **द्वारा** सत्यापन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई। सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** उनके पत्र क्रमांक जी.पी./जयहर/08/17 दिनांक 30/08/2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न करों व शुल्कों की अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों से वसूली की गई है**:**

क्रमांक	आय के स्त्रोत	दर	विवरण
1.	विवाह पंजीकरण शुल्क	200/-	पंजीकरण 30 दिन के भीतर
		400/-	पंजीकरण 90 दिन के भीतर
2.	प्रमाण पत्र शुल्क	10/-	------------
3.	सम्पति कर (गृहकर)	30/-	2014-15

		30/-	2015-16
		30/-	2016-17
4.	दुकान का किराया	1000/-	प्रतिमाह
5.	Room rent from HPSEB	1000/-	प्रतिमाह
6.	अतिथि गृह चार्जेज	-------	दरें अनुमोदित नहीं की गई है

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों व शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

8. गृहकर के रूप में ₹0.20 लाख की शेष वसूली:-

सचिव ग्राम पंचायत, जयहर के **द्वारा** अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/जयहर/2017-18-2 दिनांक 30/08/2017 के सन्दर्भ में उनके क्रमांक जी.पी./जयहर/08/17 दिनांक 30/08/2017 **द्वारा** गृहकर के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर के रूप में **20070** की वसूली शेष बताई गई जिसका ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	230	30/-	6900/-	------	6900/-
2015-16	238	30/-	7140/-	------	7140/-
2016-17	242	30/-	7260/-	1230/-	6030/-
सम्पति कर की वसूली योग्य राशि			**21300/-**	**1230/-**	**20070/-**

क्योंकि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** गृहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की **₹20070** वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव **द्वारा** इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तथा सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एंव वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

9. पंचायत की ₹0.62 लाख की प्राप्त आय की राशि का दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के दौरान वसूली गयी **₹62,154 {परिशिष्ट-6}** को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया है और न ही सम्बन्धित बचत बैंक खाते में जमा करवाया गया है जिसको सम्बन्धित सचिव से नियमानुसार दण्ड ब्याज सहित वसूली कर तुरन्त पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये, तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. सामान्य निधि खाते से ₹0.05 लाख की हस्तगत राशि का दुर्विनियोजन:-

सामान्य निधि खाते की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या: 108 के अनुसार उक्त निधि में दिनांक 31.03.2014 को **₹4592** का नकद शेष था जिसे सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** 01/04/2014 को प्ररम्भिक शेष नहीं दर्शाया गया है अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित सचिव से कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. अनुदानों की ₹14.04 का उपयोग न करना:-

पंचायत **द्वारा** उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹14,03,553 परिशिष्ट-2)** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उपरोक्त राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाये।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार **₹**1000 से अधिक के व **₹**50,000/- से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा **₹**50,000/- से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नामित दो वार्ड मेम्बर्स सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति **द्वारा** निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है | परन्तु ग्राम पंचायत**द्वारा** बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उपरोक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज खरीद नियमों की अवेहलना करके खरीद की गई है ताकि निविदाओं को आमंत्रित न करने पड़े ।

विक्रेता का नाम	**बिल नं/ दिनांक**	**सामग्री का ब्यौरा**	**राशि**
	अनुदान: PMAGY		
शिव मारकंडा टायल्स	121/ 05.02.15	2500 टायल्स	42516/-
------यथोपरी--------	123/ 07.02.15	2500 टायल्स	42516/-
------यथोपरी--------	126/ 27.02.15	2500 टायल्स	42516/-

------यथोपरी--------	128/ 27.02.15	2500 टायल्स	42516/-
------यथोपरी--------	130/ 27.02.15	2500 टायल्स	42516/-
संजय स्टोर सरांह	202/ -----------	910 किलो सरिया	43986/-
तरुण कुमार भेलन	811/ -----------	550 फुट रेत	22000/-
------यथोपरी--------	812/ -----------	275 फुट बजरी	12375/-
	अनुदान : विकास कार्य		
शिव मारकंडा टायल्स	134/ 06.04.15	6000 टायल्स	102039/-
		कुल योग	**392980/-**

अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये । तथा सम्बंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जनि सुनिश्चित की जाये ।

13. जे.सी.बी चार्जीस का ₹0 . 55 लाख का अनियमित भुगतान :-

ग्राम पंचायत जयहर के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹54765** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67(5)(a) व (b) के अनुसार **₹**1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है | जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत **द्वारा** जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| इसके अतिरिक्त जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक **द्वारा** अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता | जे. सी. बी. **द्वारा** कितना कार्य करवाया गया कि जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी | अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी |

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

जे.सी.बी चार्जीस का ₹54765 के अनियमित भुगतान का विवरण

दिनांक	ठेकेदार का नाम	बिल संख्या	कुल घंटे व् दर	राशि
06.04.15	विनोद अग्रवाल	307	26 hrs@750/-	19500/-
02.09.16	जगमोहन सिंह	------	47 hrs@750/-	35265/-
			कुल अदायगी	**54765/-**

14. क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज अपेक्षित है | ग्राम पंचायत जयहर के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी | अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है |

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए |

दिनांक	**सामग्री का ब्यौरा**	**राशि**	**रोकड़ पृष्ठ**
	अनुदान: PMAGY		
05.02.2015	2500 टायल्स	42516/-	44
07.02.2015	2500 टायल्स	42516/-	44
02/2015	910 किलो सरिया	43986/-	44
02/2015	100 फुट रेत	4000/-	45
02/2015	100 फुट बजरी	4500/-	45
27.02.2015	2500 टायल्स	42516/-	45
27.02.2015	2500 टायल्स	42516/-	45
27.02.2015	2500 टायल्स	42516/-	45
04/2015	275 फुट बजरी	12375//-	47
04/2015	550 फुट रेत	22000/-	47
	अनुदान : बी.आर.जी.ऍफ़.		
05.02.2015	30 बैग्स सीमेंट	6960/-	50
	अनुदान : विकास कार्य		
06.04.2015	6000 टायल्स	102039/-	68
14.03.2017	6 LED Street Lights	92136/-	83

कुल 500576/-

15. वास्तविक अदायगी से ₹1500 का अधिक आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **बी.आर.जी.ऍफ़.** खाते की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या: 52 पर दिनांक 07.09.2015 को श्री तरुण कुमार से **₹35,500** की निर्माण सामग्री के क्रय का भुगतान चेक संख्या 342657 **द्वारा ₹37000** का आहरण करके दर्शाया गया है जोकि वास्तविक अदायगी की राशी से **₹1500 (**37000-35500) अधिक है| अतः वास्तविक भुगतान की राशी से अधिक आहरित की गई राशि की सम्बन्धित से वसूली की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए|

16. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय दर्शाकर ₹0.82 लाख का अधिक आहरण कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यो के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद दर्शाकर निम्नतालिकानुसार **₹82,314** का अधिक आहरण किया गया है जिसे उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
	अनुदान:-PMAGY				
	निर्माण, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित वार्ड नं-2 जयहर				
सीमेंट	60 बैग्स	55 बैग्स	5 बैग्स	213/-	1065/-
टायल्स**	4400 नं	2143 नं	2257 नं	19/-	42883/-
(A)				**कुल**	**43,948/-**
	निर्माण, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित मोहन की चक्की से बलबीर के घर तक				
सीमेंट	60 बैग्स	58 बैग्स	2 बैग्स	213/-	426/-
(B)				**कुल**	**426/-**
	निर्माण, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित गदोल बनोलटा				
सीमेंट	60 बैग्स	51 बैग्स	9 बैग्स	237/-	2133/-
रेत	300 फुट	270 फुट	30 फुट	44/-	1320/-
(C)				**कुल**	**3,453/-**
	निर्माण, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित, कमाट				
सीमेंट	60 बैग्स	56 बैग्स	4 बैग्स	213/-	852/-
(D)				**कुल**	**852/-**
		अनुदान:-विकास कार्य (TSC)			
		निर्माण शोचालय GSSS, जयहर			
सीमेंट	40 बैग्स	29 बैग्स	11 बैग्स	232/-	2552/-
रेत	250 फुट	160 फुट	90 फुट	40/-	3600/-
बजरी	80 फुट	56 फुट	24 फुट	45/-	1080/-

सरिया	200 किलो	117 किलो	83 किलो	40/-	3320/-
पत्थर	800 नं	------	800 नं	5/-	4000/-
(E)			**राशि का अधिक आहरण**		**14,552/-**
		(A)+(B)+(C)+(D)+(E) कुल अधिक आहरण			**63,231/-**

****नोट:- <u>निर्माण कार्य, पक्की गली/रास्ता टायल सहित वार्ड नं-2 जयहर हेतु 2200 टायल्स की खरीद PMAGY की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 30 पर दिनांक 16.04.14 तथा 2200 टायल्स की खरीद दोबारा पृष्ठ संख्या 49 दिनांक 31.08.15 को दर्शायी गई है|</u>**

इसी प्रकार <u>निर्माण, पक्की गली/ रास्ता टायल सहित गदोल बनोलटा</u>**(PMAGY)** हेतु रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या:4 पर **2284** टायल्स की **₹63150** की खरीद दर्शायी गई है जबकि कार्य हेतु तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** माप पुस्तिका संख्या 6939 के पृष्ठ संख्या 55 से 62 पर **2065** टायल **₹21.34** प्रति टायल **₹44067** का मुल्यांकन किया गया है| इस प्रकार मूल्यांकित राशि से **₹19083 (63150-44067)** का अधिक आहरण किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वास्तविक कार्य से अधिक आहरित की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए|

(ii) निर्माण कार्यों का तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकन करवाए बिना ₹21.41 लाख का आहरण/भुगतान:-

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च राशि का मुल्यांकन करवाए बिना लाखों रूपये की राशि का खर्च/भुगतान दर्शाया गया है, जोकि अनियमित है| पंचायत सचिव **द्वारा** उनके **पत्र संख्या:GP/Jaiher/11/2017 दिनांक 01/09/2017 {परिशिष्ट-7 पर संलग्न} द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए विकास कार्यों के बारे जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार **₹21,40,636** का खर्च उक्त कार्यों को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही दर्शाया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे विभागीय स्तर पर इन कार्यों की अधिकारिक/तकनीकी जाँच कर इन कार्यो पर दर्शाए गए व्यय का मूल्यांकन करवाया जाए तथा साथ ही इस बात की पुष्टि भी की जाए कि क्या ये कार्य तकनीकी प्राक्कलन में दर्शाए गए मापदन्डों के अनुसार पूर्ण हो गए है या नहीं| उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुत न करने/अभिलेख पूर्ण न होने के कारण उनकी अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(iii) ₹14.86 लाख की स्वीकृत अनुदान राशि से किये गए व्यय के बारे ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** पत्र संख्या:GP/Jaiher/11/2017 दिनांक 01/09/2017 के **द्वारा** विकास कार्यों के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई उसके अनुसार **₹14,85,500**

{3626136-2140636} की अनुदान राशि क्या स्वीकृत कार्यो हेतु उपयोग में लायी गई अन्यथा नहीं इस बारे कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि उक्त सूचि के अनुसार कार्यों पर कोई भी खर्च नहीं दर्शाया गया है अतः उपरोक्त राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए साथ ही उक्त कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख पुर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(iv) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये| जिसके अभाव में निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय की माप पुस्तिकाओं के अनुसार **पूर्णतः** जाँच नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत **द्वारा** निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके |

17 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही को संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** प्रदान की गई **Online Financial Statements** के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो पर **₹32,01,458** का **Online** भुगतान किया गया है| उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी | अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने बारे ओचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये, तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करना भी सुनिश्चित किया जाए|

वर्ष	मजदूरी पर खर्च	सामग्री पर खर्च	कुल भुगतान
2014-15	**1055610/-**	**404000/-**	**1459610/-**
2015-16	**416728/-**	**205000/-**	**621728/-**
2016-17	**759120/-**	**361000/-**	**1120120/-**
कुल योग	**2231458/-**	**970000/-**	**3201458/-**

(ii) विकास कार्यों की सूचि व् सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए कार्यों से सम्बन्धित विकास कार्य सूचि तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण योजना में खर्च राशि का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण कार्य नहीं किया जा सका | अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए साथ ही अंकेक्षण अवधि में निष्पादित कार्यों की सूचि तैयार कर उसे सम्बन्धित अभिलेख माप पुस्तिका,

स्टाक रजिस्टर अनुमान पत्र इत्यादि सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

18 बिना बिल/ वाउचर के ₹6.87 लाख का आहरण/अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संलग्न **{परिशिष्ट-8}** के अनुसार **₹687021** का आहरण/भुगतान बिना बिल व् भुगतान की रसीद प्राप्त किये ही किया गया है क्योंकि अंकेक्षण के दौरान उक्त आहरण/भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर पंचायत सचिव **द्वारा** अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार सम्बन्धित खाते से किया गया **₹687021** का आहरण/भुगतान पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1) व (2) की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अनियमित है जोकि आहरित राशि का दुर्विनियोजन प्रतीत होता है| अतः मामले की आधिकारिक जांच करके स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा, भुगतान की पुष्टि न होने पर उक्त राशि को सम्बन्धित से दंड ब्याज सहित वसूली करके पंचायत निधि मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

19. अनुदान विकास कार्य के बचत खाते से द्वारा ₹0.61 लाख के आहरण का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान अनुदान विकास कार्य की रोकड़ बही का उसके बचत बैंक खाते से मिलान करने पर पाया गया कि उक्त खाते से निम्नानुसार **₹60840** का आहरण किया गया है जिसे न तो रोकड़ बही में दर्ज पाया गया और न ही उक्त आहरण से सम्बन्धित कोई बिल /वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गए जिससे उक्त राशि के भुगतान की पुष्टि हो सके जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और आहरण भुगतान सही न पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित से उसकी वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| आहरित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है;

दिनांक	चेक संख्या	आहरित राशि
28.09.2015	342257	12092/-
03.10.2015	342256	28500/-
05.10.2015	342255	20248/-
कुल आहरण		60840/-

20. वर्ष 2015-16 के दौरान शराब कर से प्राप्त होने वाली आय प्राप्त न होना:-

सामान्य निधि के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, जयहर को वर्ष 2014-15 में (29.04.2014) को **₹5215** तथा 2016-17 में (27.06.2016) को **₹6098.80** बतौर **शराब कर** की प्राप्ति हुई थी जबकि वर्ष 2015-16 में शराब कर से कोई भी आय की प्राप्ति नहीं हुई हैं । अतः उक्त वर्ष की "**शराब कर"** की आय के अर्जन हेतु "**आवकारी एवं कराधान विभाग**" से आवश्यक पत्राचार किया जाये तथा अनुपालना उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21. जारी की गई खेल सामग्री की रसीद प्राप्त न करना:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही के **पृष्ठ संख्या 114** पर माह 09/2014 में अंकित प्रविष्टी अनुसार पंचायत निधि (13 th FC अनुदान) से स्थानीय युवक मण्डलों के लिए **₹50,000** {चेक संख्या: 336250} की खेलकूद सामग्री (sports kits) का क्रय किया दर्शाया गया है। परन्तु युवक मण्डलों के प्रभारियों की उक्त खेलकूद सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख में दर्ज नहीं पाई गई। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक करवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा कार्यवाही पंजीका का उचित तरीके से संधारण न किया जाना तथा इस पंजी का सम्भावित दुरूपयोग:-

ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** व्यय से सम्बन्धित वाउचरों में नियमानुसार अपेक्षित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के सम्बधित प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अंकेक्षण के दौरान **"ग्राम सभा एंव ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी"** का विशेष अवलोकन किया गया। इस दौरान यह पाया गया कि इस पंजी में कोई पृष्ठ संख्या दर्ज नहीं थी तथा विभिन्न स्थानों/पृष्ठों में उपस्थित पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही की प्रविष्टि शुरू होने के स्थान पर ही दर्ज किए गए थे जबकि ये ग्राम पंचायत **द्वारा** पारित प्रस्तावों के उपरान्त करवाए जाने अपेक्षित थे ताकि पंचायत प्रधान एंव पंचायत सचिव **द्वारा** अपने स्तर पर किसी प्रस्ताव को पारित न दर्शा दिया जाए। उक्त पंचायत के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति की सम्भावना से बिल्कुल भी इन्कार नहीं किया जा सकता विशेष तौर पर तब जबकि निम्न तालिका में दिए गए क्रम संख्या **3, 4 तथा 5** पर वर्णित प्रसंग में एक खाली पृष्ठ पर पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर कार्यवाही बन्द किये बिना छोड़ दिया गया है, इसके अतिरिक्त पंजी में कई पृष्ठ रिक्त पाए गए जैसा की निम्न तालिका में उल्लेख किया गया है:-

क्रम संख्या	सभा की तिथि	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा	रिक्त पृष्ठों / अन्य आपत्तिजनक प्रकरणों का ब्योरा
1.	06/04/14	ग्राम सभा	सभा में उपस्थित 6 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद 2 पृष्ठ खाली
2.	25/04/14	ग्राम पंचायत	प्रस्ताव संख्या 4 के बाद 2 पृष्ठ खाली
3.	19/05/14	ग्राम पंचायत	**सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरांत प्रस्ताव लिखे गए और कार्यवाही को बन्द किये बिना ही छोड़ दिया गया|**
19.05.14 से 29.01.2016 की अवधि का कार्यवाही रजिस्टर कार्यालय में नहीं पाया गया			
4.	19.01.17	ग्राम पंचायत	**हस्ताक्षर, कार्यवाही बन्द नहीं की गई |**
5.	30.01.17	ग्राम सभा	**18 हस्ताक्षर, कार्यवाही बन्द नहीं की गई |**
6.	19.02.17	ग्राम सभा	हस्ताक्षर कर ½ पृष्ठ खाली
7.	09.03.17	ग्राम पंचायत	प्रस्ताव संख्या 9 के बाद 120 पृष्ठ खाली छोडकर 31.01.2017 से नया रजिस्टर खोला गया

उक्त कोताही उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है तथा यह परामर्श दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण लेते हुए भविष्य में इस प्रथा को बंद किया जाना शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

23. बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

24. रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, जयहर के पंचायत सचिव **द्वारा** रसीदों से सम्बन्धित रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है तथा रसीद बुकों का

उपयोग भी क्रमवार/तिथिवार नहीं किया जा रहा है| ऐसी स्थिति में आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है जैसा की **पैरा संख्या -9 {संलग्न परिशिष्ट-6 व 10}** में वर्णित प्राप्त के प्रकरण में पाया गया, जबकि अर्जित आय को खातों में देरी से लेखाबद्ध कर अल्पकालीन दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण वांछित है तथा उन्हें निर्देश देते हुए नियमानुसार सम्बन्धित स्टॉक पंजी का संधारण तथा रसीदों का समुचित उपयोग करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें|

(ख) आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान **द्वारा** रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है |

25 पंचायत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय पंजिका का संधारण किये बिना ही भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत निधि से पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, पशुचिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को निधि की रोकड़ बही के अनुसार मानदेय का भुगतान दर्शाया गया है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो सचिव ग्राम पंचायत जयहर **द्वारा** उक्त राशि के भुगतान से सम्बन्धित मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त भुगतान से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत की गई, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त राशि का निधि से किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है | जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अभिलेख सम्बन्धित पावतियों सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

इसके अतिरिक्त मानदेय की सरकार **द्वारा** अनुमोदित की गई दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि भी नहीं की जा सकी, अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार **द्वारा** अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होना भी सुनिश्चित किया जाये|

26. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

27. सावधि जमा में राशि का निवेश न करना

ग्राम पंचायत **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है| अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों की

अनुपालना करते हुए अधिशेष (Surplus Funds) राशि को सुनियोजित तरीके से निवेश कर ग्राम पंचायत निधि के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

28. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

29. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

30. लघु आपत्ति विवरणिका:-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान **द्वारा** ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो | अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव **द्वारा** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा **द्वारा** उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत **द्वारा** भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है| जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का सख्ती से पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए|

31 निष्कर्ष:- पंचायत का कोई भी अभिलेख नियमानुसार सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा है जिस बारे विभागीय स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि भविष्य में समस्त अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित हो सके|

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)16/2018 खण्ड–1–1448–1451 दिनांक 24.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जयहर विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881